



INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh

IN-UP03054370707535V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP03054370707535V
 Certificate Issued Date : 01-Sep-2023 04:07 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14524704/ AMROHA SADAR/ UP-JPN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1452470401704122988543V
 Purchased by : S O CHILDREN EDUCATIONAL SOCIETY AMROHA
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : S O CHILDREN EDUCATIONAL SOCIETY AMROHA
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : S O CHILDREN EDUCATIONAL SOCIETY AMROHA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



(प्रारूप- अ)

सत्र 2023-24 मे नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओ की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मोटरी शपथपत्र का प्रारूप

हम श्री मारुफ अहमद (नाम अध्यक्ष) श्री शमशुल कमार एवं सुऐब अख्तर (नाम सचिव) मारुफ अहमद कमशः अध्यक्ष एवं सचिव सुऐब अख्तर (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) एस.क्यू. चिल्ड्रन एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम खैय्या माफी पो0 पतेई खालसा जिला अमरोहा शपथपूर्वक निम्नवत् ध्यान करते



यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एस.क्यू. चिल्ड्रन एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम खैय्या माफी पो0 पतेई खालसा जिला अमरोहा (संस्था का नाम

9950

मारुफ अहमद

सुऐब अख्तर



एवं पता) शमशुल कमर कालेज ऑफ फार्मसी डिप्लोमा संस्थान
अमरोहा नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र
2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम एस.एच. विल्ड्रन एजुकेशनल सोसाइटी ग्राम खैर्या माफी पो0 पतेई खालसा जिला अमरोहा (पता जहां पर भूमि स्थित है) डिप्टी अमरोहा मे गाट सं0529,530 एवं रकबा कमशः.0.:1.73.... एवं हेक्टेयर (कुल रकबा.0.:1.73.हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नही चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते का सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाट सं0. 529 एवं 530 रकबा कमशः.0.:1.09 एवं .0.:3.64 हेक्टेयर (कुल रकबा.0.:1.73 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02.09.1997 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी /
ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही
निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।



शमशुल कमर

सुबोध चोपड़ा

9950



7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, UOP तखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/ महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि द्वारा का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।



9950

यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की

नामरफ 54583

रविंद्र मोहल



निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटचित्त अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



राजेश कुमार
ह० सचिव

S.O. Children Education Society
Vill. Khairya Main, Dist. Amritsar

शुभेय खंडल

राजेश कुमार

ह० अध्यक्ष

S.O. Children Education Society
Vill. Khairya Main, Dist. Amritsar

9950

9